<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/टीए/1804/2003/सिरोही</u>

हंसराज पुत्र पुराजी जाति सरगडा निवासी नदी किनारे आबकारी रोड, तहसील बाूरोड जिला सिरोही

अपीलार्थी

बनाम

1 बाबू पुत्र मोडाजी जाति जोगी निवासी नदी किनारे आबकारी रोड, आबूरोड तहसील आबूरोड
2 पूरा पुत्र दुर्गाजी (फौत नाम तर्क)
3 छोगालाल पुत्र पुराजी जाति सरगडा निवासी नदी किनारे, आबकारी रोड, आबूरोड
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आबूरोड

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः श्री माधवराजसिंह वकील अपीलार्थी
श्री मुकेश जैन वकील प्रत्यर्थी संख्या 1

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः.17.10.19</u>

यह द्वितीय अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा अपील संख्या 50/2001 में पारित निर्णय दिनांक 18.2.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी हंसराज ने एक वाद अपने पिता पूराजी व भाई छोगालाल के विरूद्ध सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के न्यायालय में अधिनियम की धारा 53, 88 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांतपुर स्थित साबिक खसरा नम्बर 108 रकबा 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि वादी के दादा दुर्गाजी पुत्र मानाजी के नाम व कब्जे काश्त की थी। जिसके नये ख्सरा नम्बर 130, 149, 150, 128 बने हैं। सैटलमेन्ट के दौरान उक्त नये खसरा

नम्बरों में से खसरा नम्बर 149 की रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा भूति तो खातेदारी में दर्ज कर दी एवं शेष खसरा नम्बर खातेदारी में दर्ज नहीं किये। विवादित आराजीयात पैतृक सम्पति है जिनमें वादी का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के साथ कब्जा काश्त मौजूद हैं। दुर्गाजी के देहान्त के बाद विवादित आराजीयात उनके पुत्र पुराजी के नाम दर्ज कर दी गई जबकि पैतृक सम्पति होने से एवं कब्जा होने से वादी विभाजन करा अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 राज्य सरकार ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 19.3.2001 से वादी को खातेदारी अधिकार प्रापत करने व निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना परन्तु विभाजन का अधिकारी मानते हुए वादी के हिस्से में आने वाली भूमि का विभाजन मिटस एण्ड बोण्डस के आधार पर किये जाने का आदेश तहसीलदार आबूरोड को दिया। इससे व्यथित होकर वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 बाबू पुत्र मोडाजी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.2.2003 से अपील स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि बाबू पुत्र मोडाजी का विवादित आराजीयात से कोई वास्ता नहीं हैं। जिससे वह प्रभावित पक्षकार नहीं है। बाबू ने प्रथम अपीलीय न्यायालय में धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने का प्रस्तुत ही नहीं किया है जिससे अपील चलने योग्य ही नहीं थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त कानूनी प्रावधान की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है। खसरा नम्बर 150 साबिक खसरा नम्बर 108 से बना है तथा साबिक खसरा नम्बर 108 वादी अपीलार्थी के दादा दुर्गाजी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। हाल खसरा नम्बर 150 से बाबू प्रत्यर्थी संख्या 1 का कोई लेना देना नहीं हैं। उसका कब्जा भी नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्यों एवं तथ्यों को देखे बिना ही प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में भूल की है। अन्य वाद उनवानी पूराजी बनाम बाबू निषेधाज्ञा का है तथा उसका निर्णय भी वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 के विरूद्ध हो चुका है। उक्त वाद खसरा नम्बर 148 व 149 के संबंध में था। खसरा नम्बर 150 पर बाबू प्रत्यर्थी संख्या 1 का हक व अधिकार होना साबित नहीं किया गया है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने आदेश 41 नियम 27 सी.पी. सी. के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत द्वारा वाद संख्वया 85/97 उनवानी पूरा बनाम बाबू में पारित

निर्णय व डिक्री दिनांक 31.3.2003 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया है।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 150 राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 1 बाबू का मकान आदि बना हुआ है तथा वह आवास कर रहा है। वाद संख्या 85/97 में खसरा नम्बर 150 पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का कब्जा होना स्वीकार किया गया है। उक्त खेत पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का कब्जा होने से वह प्रभावित पक्षकार है जिससे उसे प्रकरण में पक्षकार बनाकर सुना जाना आवश्यक है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही अपील का निर्णय किया है एवं सुनवाई हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है। न्याय का भी यह सामान्य सिद्धान्त है कि प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया गया है तथा धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र की औपचारिकता को ध्यान में रखकर ही अपील का निर्णय किया है जिससे यह स्पष्ट है कि अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि आदेश 41 नियमक 27 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

6. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी अपीलार्थी ने अपने वाद में साबिक खसरा नम्बर 108 को पुश्तैनी भूमि बताकर एवं सैटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजीयात को परिवर्तित कर केवल खसरा नम्बर 149 खातेदारी में दर्ज किया जाना तथा शेष आराजीयात को गलती से राजकीय भूमि दर्ज किया जाना कथन करते हुए घोषणा एवं विभाजन का अनुतोष चाहा है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 108 से नवीन खसरा नम्बर 130, 149, 150, 128 बने हैं। विचारण न्यायालय ने मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बरों से बने नये नम्बरों को वादी के पिता के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश देते हुए वादी को खातेदारी अधिकार व निषेधाज्ञा का अनुतोष नहीं देते हुए वादी को हिस्से से प्राप्त होने वाली भूमि का विभाजन किये जाने का आदेश दिया है।

8. वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 बाबू पुत्र मोडाजी ने हाल खसरा नम्बर 150 पर स्वंय का कब्जा होने का कथन करते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पूरा

बनाम बाबू के मध्य वाद विचाराधीन होने तथा खसरा नम्ब 150 वर्तमान में राजकीय भूमि होकर गैर मु0 गडडे अंकित होने से अपील को स्वीकार कर प्रकरण प्रति प्रेषित किया है।

9. अपीलार्थी द्वारा इस द्वितीय अपील में आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत द्वारा वाद संख्या 85/97 उनवानी पूरा बनाम बाबू में पारित निर्णय व डिक्री निांक 31.3.2003 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। यह दस्तावेज सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति है तथा इस प्रकरण के निस्तारण में सहायक होने से प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता हैं एवं उक्त दस्तावेज अभिलेख पर लिया जाता है।

10. उक्त निर्णय दिनांक 31.3.2003 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह हाल खसरा नम्बर 148 व 149 के संबंध में था तथा वादी पूरा का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी बाबू के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में इसी वाद को मुख्य रूप से आधार बनाकर बाबू वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 का विवादित आराजी पर कब्जा होने का कथन आने से उसे प्रभावित पक्षकार मानकर निर्णय पारित किया है। हालांकि बाबू वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रथम अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि यह आवश्यक है। इस प्रार्थना पत्र के अभाव में अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

11. प्रत्यर्थी संख्या 1 बाबू ने हाल खसरा नम्बर 150 पर स्वंय का कब्जा होना एवं मकान आदि होना कथन किया है परन्तु उनके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में तथा इस द्वितीय अपील में भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे उक्त खसरा नम्बर 150 पर बाबू का हक व अधिकार होना तथा विधिक रूप से काबिज होना प्रमाणित होता हो। वाद संख्या 85/97 में पारित निर्णय के अनुसार भी बाबू के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसके साथ ही मिलान क्षेत्रफल से यह स्पष्ट होता है कि हाल खसरा नम्बर 150 साबिक खसरा नम्बर 108 से ही बना है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्यों एवं तथ्यों को देखे बिना ही निराधार रूप से प्रकरण को प्रति प्रेषित किया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय के निर्णय से बाबू को प्रभावित एवं पीडित पक्षकार नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में हम यह अपील स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली का निर्णय दिनांक 18.2.2003 निरस्त किया जाता है एवं सहायक कलक्टर, आबूपर्वत का निर्णय व डिक्री दिनांक 19.3.2001 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य